07/2016 चम्पादेवी व/ऽ संपत्त ग्रा.पं. कौशलर बोरा

6.12	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र एड.सिणधरी मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.3 से 10 के वकील उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। शेष उतरदाता बावजुद सुचना के अनुपस्थित है। उतरदाता स.3 से 10 के अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र–अपील को खारिज करने बाबत साथ ही दस्तावेजो की सुची मय फेहरिस्त पेश की गई है। एवं वकील अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र हस्तगत पत्रावली को सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु हस्तान्तरण करने बाबत पेश की गई। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की दोनो प्रार्थना पत्रो पर बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अपील खारिज करने बाबत पर उतरदाता स.3 से 10 की बहस है,कि अपीलाण्ट की ओर से नामान्तकरण स.15 दिनांक 16.6.1992 को निरस्त करवाने हेतु अपील माननीय न्यायालय मे पेश की गई है,जबकि विवादित नामान्तकरण को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किये जाने के कारण हस्तगत विवादित नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही आकर श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के क्षेत्राधिकार मे आती है।लेकिन अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथ्यो का पूर्ण ज्ञान होते हुए भी जानबुझकर विवादित नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय मे पेश की गई है। जो माननीय न्यायालय हस्तगत अपील पर सुनवाई कर नही सकते है। एवं हस्तगत अपील मे विवादित नामान्तकरण तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया था। लेकिन आवश्यक पक्षकारान होने के उपरांत भी पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही आने कारण खारिज की जावे। एवं वकील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–हस्तगत प्रकरण को सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु हस्तान्तरण करने बाबत आधारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किये	

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

जाने के कारण खारिज की जावे।

इसके विपरीत वकील अपीलाण्ट की बहस है,कि अपीलाण्ट की ओर से ग्राम वणाको का बेरा तहसील सिणधरी की मूल खेत खसरा सख्या 5 रकबा 55–18 बीधा,जिसके वर्तमान खसरा सख्या 5/1 रकबा 27–19 बीधा,खसरा संख्या 5 रकबा 27–19 बीधा भूमि के सबंध मे उतरदाता स.1 द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किये उतरदाता स.1 की तरफ से विवादित नामान्तकरण स. 15 दिनांक 16.6.1992 पारित किया गया था,जो निरस्त करवाते हुए भैरा वल्द नंदराम के स्थान पर अपीलण्ट व उतरदाता स.3 से 6 के नाम पारित करवाने हेतु यह अपील पेश की गई थी। विवादित भूमि के सबंध मे प्रस्तुत अपील के समय उक्त नामान्तकरण की नकल हल्का पटवारी से ली गई थी। उस समय नकल पर नामान्तकरण पारित करने वाने अधिकारी का नाम व शील दिखाई नही दे रही थी। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मे होने के कारण पेश की गई थी। उतरदाता स.3 से 10 के वकील द्वारा विवादित भूमि के सबंध मे पारित नामान्तकरण स.15 की नकल रेकर्ड रूम से लेकर पेश किये जाने पर पता चला की श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। इस कारण हस्तगत अपील को सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण करते हुए उतरदाता स.3 से 10 की प्रार्थना पत्र को खारिज की जावे।

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विवादित नामान्तकरण स. 15 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि ग्राम वणाको का बेरा तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील सिणधरी की मूल खसरा संख्या 5 रकबा 55–18 बीधा भूमि के सबंध मे पारित नामान्तकरण स.15 के विरूद्व हस्तगत अपील इस न्यायालय मे पेश की गई। उक्त विवादित नामान्तकरण स.15 को तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया गया था। और तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर मे होती है। न कि इस न्यायालय मे। जबकि अपीलाण्ट की ओर से तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित नामान्तकरण की अपील इस न्यायालय मे पेश की गई। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। इस प्रकार अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

अतःवकील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–हस्तगत पत्रावली को सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तकरण करने बाबत सारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किये जाने के कारण निरस्त की जाती है।

लिहाजा उतरदाता स.3 से 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13/6/12 को मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

13/6/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner